मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में सबके लिए आवास (शहरी) HFA योजना के अधीन गठित राज्यस्तरीय स्वीकृति और अनुश्रवण समिति (SLSMC) की दिनांक–02.07.2019 को आयोजित बैठक की कार्यवाही :–

सबके लिए आवास (शहरी) योजना राज्य के सभी नगर निकायों में लागू है। आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सबके लिए आवास (शहरी) योजनान्तर्गत लाभार्थी आधारित निर्माण (BLC) घटक के अधीन अब तक सभी 140 नगर निकायों के 372 परियोजनाओं में 2,39,538 लाभूकों का गृह निर्माण की स्वीकृति दी गयी है।

1. वर्तमान में सबके लिए आवास (शहरी) योजनान्तर्गत BLC घटक के अधीन 12 नगर निकायों (02–Phase-II, 04–Phase-III, 05–Phase-IV एवं 01 Phase-VI) के लिए 13165 लाभूकों का गृह निर्माण हेतु लाभूकों की सूची के साथ DPR प्राप्त हुआ है। 12 नगर निकायों से प्राप्त DPR पर State Level Appraisal Committee (SLAC) से स्वीकृति प्राप्त है। (अनु0–1)

2. सबके लिए आवास योजना के लाभार्थी आधारित निर्माण घटक में 12 नगर निकायों के 12 परियोजनाओं में 13165 लाभूकों के गृह निर्माण की स्वीकृति SLSMC द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। (अनु0–2)

3. सबके लिए आवास योजना की मार्गदर्शिका के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु Annual Capacity Building Plan (अनु0–3) तैयार किया गया है। CB Plan का मुख्य बिंदु निम्न प्रकार है :– (अनु0–3)

- सबके लिये आवास योजना की मार्गदर्शिका की कंडिका 12.13 एवं 12.14 के आलोक में CB Plan में 10 State Level Technical Cell (SLTC) कर्मियों एवं 216 City Level Technical Cell (CLTC) कर्मीयों का प्रवधान किया गया है।
- सबके लिये आवास योजना की मार्गदर्शिका की कंडिका–12.10 के आलोक में योजना के गुणवत्ता निरीक्षण हेतु Third Party Quality Monitoring Agencies (TPQMA) के गठन का प्रावधान किया गया है।
- सबके लिये आवास योजना की मार्गदर्शिका की कंडिका–12.06 के अनुसार योजना की पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु Social Audit के गठन का प्रावधान किया गया है।
- सबके लिये आवास योजना की मार्गदर्शिका की कंडिका–12.01, 12.05 एवं अन्य के अनुसार योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु Exposure Visit/Workshop/Documentation/Geo-tagging एवं व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु IEC का प्रावधान किया गया है।
- CB Plan में SLTC, CLTC एवं TPQMA के तहत व्यय होने वाली राशि का 75% केन्द्र सरकार एवं 25% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा एवं अन्य घटक Social Audit/Exposure Visit/Workshop/Documentation/Geo-tagging/IEC हेतु शत्प्रतिशत राशि का वहन केन्द्र सरकार द्वारा किया जायेगा।

- Annual Capacity Building Plan 2019–20 में इन सभी घटकों को सम्मिलित करते हुए 196446400.00 (उन्नीस करोड़ चौसठ लाख छियालिस हजार चार सौ रू0 मात्र) के व्यय का प्रस्ताव किया गया है। जिसमें 156956400.00 (पन्द्रह करोड़ उन्नहत्तर लाख छप्पन हजार चार सौ रू0 मात्र) केन्द्रांश एवं 39490000.00 (तीन करोड़ चौरान्वे लाख नब्बे हजार रू0 मात्र) राज्यांश का व्यय प्रस्तावित हैं। Annual Capacity Building Plan 2019-20 पर राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति की स्वीकृति प्रस्तावित है।

4. सबके लिए आवास (शहरी) योजना में लाभार्थी आधारित निर्माण घटक (BLC) के 36 परियोजनाओं का तृतीय पक्ष गुणवत्ता अनुश्रवण हेतु TPQMA (Third Party Quality Monitoring Agency) एजेंसी द्वारा स्थल निरिक्षण प्रतिवेदन (Site Visit Report) उपलब्ध कराया गया है, जिसके आधार पर 36 Action taken Report (ATR) तैयार किया गया है। जिसपर SLSMC की स्वीकृति प्रस्तावित है।

(अनु0–4)

<u>तदनुसार सभी प्रस्तावों पर SLSMC की निम्नवत् स्वीकृति प्रदान की जाती है:–</u>

(i) प्रधानमंत्री आवास (शहरी) योजनान्तर्गत लाभार्थी आधारित आवास निर्माण घटक के अन्तर्गत 12 परियोजना (02–Phase-II, 04–Phase-III, 05–Phase-IV एवं 01 Phase-VI) का डी0पी0आर0 तैयार किया गया है, जो SLAC द्वारा अनुशंसित है, की स्वीकृति दी जाती है। (अनु0–1)

(ii) प्रधानमंत्री आवास (शहरी) योजनान्तर्गत लाभार्थी आधारित आवास निर्माण घटक के अन्तर्गत 12 परियोजनाओं में 13165 लाभूकों के गृह निर्माण (निकायवार लाभूकों की विवरणी संलग्न) की स्वीकृति पर 19747.50 लाख रूपये केन्द्रांश एवं 6582.50 लाख रू0 राज्यांश व्यय होगा। योजना का कार्यान्वयन स्वीकृत मॉडल एवं डिजाईन के अनुसार लाभान्वितों द्वारा स्वयं किया जायेगा, के प्रस्ताव की स्वीकृति दी जाती है।

(अनु0:–2)

(iii) सबके लिए आवास योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु तैयार Annual Capacity Building Plan (अनु0–3) जिसमें 156956400.00 रू0 केन्द्रांश एवं 39490000.00 रू0 राज्यांश अर्थात कुल 196446400.00 रू0 (उन्नीस करोड़ चौसठ लाख छियालिस हजार चार सौ रू0 मात्र) का व्यय होगा, की स्वीकृति दी जाती है।

(अनु0–3)

(iv) प्रधानमंत्री आवास (शहरी) योजनान्तर्गत गठित TPQMA के गुणवत्ता प्रतिवेदन के आधार पर लाभार्थी आधारित निर्माण घटक के 36 परियोजनाओं के Action taken report की स्वीकृति दी जाती है।

(अनु0–4)

योजना के अंतर्गत बनाये जाने वाले घरों का क्षेत्रफल 30 वर्गमीटर से कम नहीं होगा। जमीन की कमी के मद्देनजर लाभार्थीगण मिलकर बहुमंजिले भवन का भी निर्माण कर सकते हैं। लाभूकों को इसके लिए 1.50 लाख रू केन्द्रांश एवं 50.00 हजार रू राज्यांश की सहायता राशि होगी। शेष राशि का वहन लाभुक द्वारा किया जायेगा।

SLSMC द्वारा वर्णित प्रस्तावों को अनुमोदित करते हुए आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की स्वीकृति हेतु भेजने की अनुशंसा की गयी।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

2/7/2019

प्रधान सचिव,
नगन विकास एवं आवास विभाग,
बिहार पटना।

मुख्य सचिव,
बिहार।

ज्ञापांक– 04/HFA-08/2015 1687 दिनांक 2/7/19

प्रतिलिपिः– सभी संबंधित SLSMC के सदस्यों/पदाधिकारियों/संयुक्त सचिव/उप सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/7/2019

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।